elementary rule regarding these Committees.

Regarding other witnesses, we did everything possible to invite them, beginning with the Supreme Court Bar.

SHRI PILOO MODY : What is the rule ?

SHRI NATH PAI : I will pass them on to Shri Piloo Mody so that he might ponder over them. They are rule 27(1), proviso to rule 29, then 77, 78, 157 and 305. I hope for the next five minutes he could go on scrutinising these so that I could carry on with more serious work before the House without interruptions.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may move his Motion and we might continue on the next occasion, as we have other business after 17.30 hours.

SHRI NATH PAI : This is a very serious subject, as Shri Anthony, Acharya Kripalani and Shri Krishnamoorthi have conceded. It is this realisation that we were trying to bring to this House. Let us have a proper and adequate debate. Let not superficial charges be hurled, let the matter be discussed on its merits. I make an appeal. It will be decided by the Committee to accommodate so far as the time factor is concerned. Those who agree with the majority report will be only too glad to have the benefit of the advice of the dissent and the criticism of our fellow members. We have no objection to the time being extended.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You move the motion that it be taken into consideration.

SHRI NATH PAI : I have to conclude my speech, but I move ...

SHRI LOBO PRABHU : It is 5.30 now. Please note the time. A rule is rule. You have to take up the other business.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : This is how they suppress the rights of other people.

SHRI LOBO PRABHU : It is a violation of the rules if you allow him now.

SHRI PILOO MODY : May I return the rules to him with thanks ? It will do him a lot of good to read them.

SHRI NATH PAI : I therefore beg to move ...

SHRI LOBO PRABHU : On a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Private Members' Business started five minutes later than usual. So, I am within my rights.

SHRI LOBO PRABHU : You cannot extend the time.

SHRI NATH PAI : I will continue my speech next time, but I move :

> "That the Bill further to amend the Constitution of India, as reported by Joint Committee, be taken, into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER : He will continue his speech next time.

17.33 HRS.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

SMUGGLING OF GOODS ON WEST BENGAL AND BIHAR BORDERS WITH NEPAL

श्री बेणी शंकर शर्मा (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक ऐसे अहम सवाल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो हमारे देश की आज की अधिकांश बुराइयों की जड़ में है । आज देश में अवैध व्यापार, चोरबाजारी, भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी का बोलबाला है । बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है । यदि पंचवर्षीय योजना में कोई चीज बनी और बढ़ी है तो वह है स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग और करप्शन, बेकारी और महंगाई जिस के लिए जिम्मेदार है आज की हमारी सरकार और अब तक की अपनाई गई उसकी गलत नीतियां । स्मगलिंग, ब्लैक-मार्केटिंग और करप्शन का एक दूसरे से चोली दामन का सम्बन्ध है । स्मगिल्ड सामान

[श्री वेणी शंकर शर्मा :]

के लिए ब्लैक-मार्केट चाहिए और इन दोनों के लिए चाहिए हमारे कानून के रक्षकों में भ्रष्टाचार ।

तस्कर व्यापार तो उसे कहते हैं जो चोरी छिपे किया जाय किन्तु यहां तो अवस्था यह है कि आप किसी छोटे या बड़े शहर में चले जाइए, वहां आप को तस्करी से आया हुआ माल आप जितनी मात्रा में चाहें, मिल सकता है और उसके लिए कहीं कोई आप को रोकने वाला नहीं है । जिस देश के शहरों की चमचमाती दुकानें विदेशी सामानों से भरी हों, जिस देश के हर तीसरे नागरिक ही नहीं, अफसरों की पाकेट्स में चीनी फाउन्टेन पेन और हाथ में रशियन घड़ी हो उस देश की सरकार को क्या कहा जाय ? जिस देश में सोना आदि हाथ मुट्ठी की ही चीज नहीं बल्कि कपड़े, चीनि, जूट आदि से लदी लारियां सीमा के आर पार अबाध गति से जा सकती हों, जिस देश के समुद्री किनारों पर तस्करी व्यापार से लाई हुई भारी भरकम चीजों जैसे सिगरेट, विदेशी शराब आदि से भरे हुए जहाज के जहाज लंगर डाले खड़े हों उस देश की सरकार को किस नाम से पुकारा जाय, मेरी समझ में नहीं आता ।

उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले सरकार के विरुद्ध लाये हुए अविश्वास के प्रस्ताव पर हुई बहस के दौरान में सरकारी कर्मचारियों को अवश्यकतानुसार वेतन न देने के कारण इस सदन में भयंकर क्षोभ प्रकट किया गया था । किन्तु सरकार में अविश्वास और उस पर क्षोभ होना चाहिये था उसकी उन नीतियों के प्रति जिसके कारण आज देश दिवालिया होता जा रहा है और उसके पास उसके कर्मचारियों को उचित वेतन देने के लिये भी पैसे नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप किसी दिन का समाचार पत्र उठा कर देखिए, आप को उस के किसी न किसी कोने में तस्करी व्यापार में पकड़ी हुई चीजों का एक न एक समाचार अवश्य मिलेगा । कहीं पचास पचास लाख का सोना पकड़ा जाता है तो कहीं तीस तीस हजार की संख्या में विदेशी घड़ियां । मैं आप के समक्ष केवल दो उदाहरण पेश करूंगा । पहला है बम्बई के 15 सितम्बर के **फ्री प्रेस जनरल** में प्रकाशित समाचार जिस में कहा गया है :

> "The Bombay Customs seized contraband gold valued at Rs. 50 lakhs from different places in the city. The total quantity of the yellow metal is stated to be 34,000 tolas and was found to be concealed in special jackets."

दूसरा है **हिन्दुस्तान टाइम्स** के 19 सितम्बर के अंक में प्रकाशित समाचार जिस में कहा गया है :

> "The Bombay Customs Intelligence seized 36,000 tolas of gold valued at Rs. 60 lakhs in a surprise raid on a locked flat in Central Bombay."

इसी प्रकार आप देखते हैं कि केवल तीन चार दिनों के भीतर एक करोड़ से अधिक का तो तस्करी सोना ही पकड़ा गया और ऐसी घटनाएं रोजमर्रा हो रही हैं । तस्करी व्यापार भी दो तरफा होता है । जहां भारत में नेपाल की मार्फत पेन घड़ियां आदि लाई जाती हैं वहां हमारे तस्कर व्यापारी वहां बहुमूल्य अभ्रक और पाट भेजते हैं । बम्बई के बंदरगाह के जरिए जहां सोना लाया जाता है वहां तस्कर व्यापारी जयपुर से हीरे आदि बहुमूल्य जवाहरात भेजते हैं क्योंकि इम्पोर्ट की जाने वाली वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्रा तो चाहिए ही और वह बिना किसी प्रकार का एक्सपोर्ट किए हुए मिल नहीं सकती । क्यों नहीं सरकार कुछ ऐसे उपायों पर विचार करती जिससे वह अवैध व्यापार को वैध रूप दे सके ? क्योंकि इस अवैध व्यापार से न हमे इनकम टैक्स मिलता है, न सेल्स टैक्स और न हमें कस्टम्स ड्यूटी ही मिलती है । दूसरी ओर जो विदेशी मुद्रा का नुकसान होता है वह अलग है ।

इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिए मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय राज्य मंत्री ने

कहा था कि सरकार सीमाओं पर और अधिक कड़ा पहरा बैठाने की बात सोच रही है । तो क्या अब तक जो लोग सीमाओं पर पहरा देते रहे हैं वे वहां गुल्ली डंडा खेलते रहे ? बात ऐसी नहीं है ? वे भी पहरा देते हैं और जो अधिक अधिकारी मुकर्रर किए जाएंगे वे भी वहां पहरा देंगे । किन्तु क्या सिपाहियों तथा अफसरों की संख्या बढ़ाने से ही समस्या का समाधान हो जायेगा ? शायद नहीं । क्यों कि सिपाहियों के सामने एक बड़ा प्रलोभन है ।...

MR. DEPUTY-SPEAKER : May I point out to him that the specific reference here is to smuggling on the Indo-Nepal border. If you go on to other smugglings then there would not be time.

श्री बेगी शंकर शर्मा : I will finish within the time.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में, जैसा मैं ने अभी कहा है माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि नेपाल और भारत की सीमा पर पहरा कड़ा करने जा रहे हैं । किन्तु मेरा कहना है कि केवल पहरा कड़ा करने से ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता । उस के लिए हमें कुछ आन्तरिक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न करनी होगी जिससे इस देश का तस्कर व्यापार रुक सके । स्वामी विवेकानंद ने अपने एक व्याख्यान में कहा था कि You cannot legislate for virtue. आप लोगों को अच्छे काम करने के लिए कानून से बाध्य नहीं कर सकते, उसके लिये आवश्यकता है देश में ऐसे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां उत्पन्न करने की जिससे लोग स्वयं अच्छे कामों को कर सकें । आज नेपाल से जो चीजें हमारे यहां आती हैं, उन में अधिकांश कलमें, घडियां, ट्रांजिस्टर्ज, टैरिलीन और इसी प्रकार की दूसरी बहुत सी चीजें हैं । यदि इन चीजों का हमें अपने यहां पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर सकें तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां तस्कर व्यापार एक भूतकाल की वस्तु हो जायेगी नैपाल से आज भारत में चीनी भी आ रही है । अभी दो दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि नेपाल से रशियन, चैकोस्लोवेकियन और दूसरे देशों की चीनी आती है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले वर्ष जब हमारे यहां चीनी की पैदावार काफी बढ़ जायेगी तो इस रशियन काम नेपाल चीनी का हमारे देश में दर्शन भी दुर्लभ हो जायेगा ।

हमें देखना यह है कि ये चीजें आती क्यों हैं - उत्तर स्पष्ट है हमारे देश में इन चीजों के उत्पादन भी में कमी है । हमारे यहां जितनी भी योजनायें बनाई गईं सब गलत सिद्ध हुईं जितना उपभोक्ता सामान हमारे यहां बनाना चाहिये था, वह नहीं बना । इन तीनों योजनाओं में हमें विदेशों से सहायता तथा कर्ज के रूप में जो भी रुपया मिला, उस का उपयोग हम ने उत्पादन के काम में नहीं किया । जिसकी वजह से आज लोगों के पास रुपया तो बढ़ गया, लेकिन उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें उपभोक्ता सामान नहीं मिल पाता । जो रुपया हमारे यहां आया, अगर उस को उत्पादक सामानों के बनाने में लगाता तो शायद तस्करी व्यापार की समस्या आप ही आप हल हो जाती ।

मैं गत महीने नेपाल गया था, वहां एक सप्ताह मुझे प्रवास करने का मौका मिला । वहां मुझे व्यापारियों से पूछने पर मालूम हुआ कि उसी एक सप्ताह में वहां बाहर से गये लोगों ने करीब 5 करोड़ रुपये का सामान खरीदा । प्रश्न यह है कि वह सामान वहां से लाया कैसे गया, क्योंकि भारत और नैपाल की सीमा पर कड़ा पहरा है, प्लेनों में जाँच पडताल, ट्रेनों में रुकावट है, फिर भी सामान आता-जाता है । सिर्फ सिपाहियों की संख्या बढ़ाने से यह धंधा रुकने का नहीं । उसके लिये आवश्यकता है कि हम नैपाल सरकार से बातचीत करें और उनसे सहयोग प्राप्त करें, जिसके द्वारा हम दोनों देशों में जो व्यापार होता है, उस की समुचित व्यवस्था कर सकें । आज नैपाल और भारत जो चीजें बनती हैं, उनका व्यापार तो खुला होता है, उसका हिसाब रहता है, लेकिन जो

[श्री बेनी शंकर शर्मा]

तीसरे देशों से सामान आता है, उसका कोई हिसाब नहीं होता ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को सलाह दूंगा कि वे नैपाल के साथ ऐसा समझौता करें जिससे कि तीसरे देशों में बनी हुई चीजें वे नैपाल में उतनी ही मात्रा में मंगावें, जितनी कि वहां खपत है । आज हो यह रहा है कि उन चीजों की खपत नैपाल में तो बिल्कुल नहीं है इसलिये चाइना, रशिया, चैकोस्लोवाकिया तथा अन्य देशों से जो भी चीजें वहां आती हैं, वे सब की सब भारत में तस्कर व्यापार द्वारा आ जाती हैं । तस्करी व्यापार से लाया हुआ टैरीलीन का कपड़ा और कलमें तो आज बाजारों में आम तौर से खुल्लम खुल्ला बेची जा रही हैं ।

एक बात मेरी समझ में नहीं आती हम केवल सीमा पर ही कड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन जब ये चीजें दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई की दुकान पर खुले आम बिकती हैं तो उन पर कोई रुकावट डालने की कोशिश क्यों नहीं करते । हमें ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे यह जो तस्कर व्यापार से आया हुआ माल है, वह हमारे यहां खुले रूप से दुकानों पर न बिक सके । इसको रोकने के लिये इस समय कोई कानून नहीं है, इसलिये ऐसे माल की बिक्री को रोकने के लिये कानूनी व्यवस्था होनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं कह रहा था इस तस्करी व्यापार की जड़ में जो कारण है, वह है उत्पादन की कमी । हमें अपने यहां इन सब चीजों का उत्पादन बढ़ाना चाहिये । हमारे यहां कुछ लोगों के पास पैसा काफी बढ़ गया है या तो उसे टैक्स के रूप में खींच लेना चाहिये, अगर यदि यह सम्भव नहीं है तो फिर उसे उपभोक्ता सामग्रियों के उत्पादन में लगाने के लिये किसी तरह उनको कानूनन विवश करना चाहिये । चूंकि हम ऐसा नहीं कर सके । और चूंकि लोगों के पास पैसा है, किन्तु हमारे बाजारों में चीजें नहीं इसलिये आज तस्कर व्यापार इतने जोर से चल रहा है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri K. C. Pant. The question specifically refers to the Nepal border.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : I am entirely in your hands. My hon. friend has raised some general issues as well. I am in your hands. If you want me to touch on them, I shall do so.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He can refer to them passingly, but the main question is about Nepal.

SHRI K. C. PANT : If it is my task to be relevant, I shall certainly do so.

The point raised by Mr. Sharma has come up in the House in the form of questions and another half-hour debate in the last session. Only yesterday, the question came up and the Deputy Prime Minister explained the broad approach of Government in this matter. Whatever the specific details of this situation, the broad framework within which we have to consider this whole question is the need and desirability of maintaining good relations with Nepal. We have had extremely friendly relations with Nepal and I am sure it is the wish of all sections of the House that these friendly relations should not only be continued but strengthened. It is in this context that in 1960, we entered into a treaty of trade with the Government of Nepal. According to this Treaty of Trade and Transit, as it is called, there is no regular customs barrier between the two countries. Article 2 of this treaty enjoins that goods originating in either country and intended for consumption in the territory of the other shall be exempt from customs duties and other equivalent charges as well as from quantitative restrictions. There is, therefore, by and large, free movement of goods of Indian and Nepalese origin across the border.

The second point I would like to make is that the border between the two countries is about 900 miles. Three States touch upon Nepal—UP, Bihar and West Bengal. A major portion of this terrain is mountainous. I have been up in the hills quite far where Nepal

border impinges on UP in the mountains. As you go up, you reach an area—the source of Kali—where you can just fell a tree, the tree falls across the river, you can cross to Nepal and walk back. We have to remember also that there is a lot of traditional trade along the border. It is the same people who inhabit both sides of the river and along the Terai. They have relationships of religion, customs, marriage, landholdings, etc. on both sides of the border. Some are living on this side and some on that side of the border. This is the traditional pattern. So, it is not like the border between India and any other country. There are some special considerations here to be kept in mind.

The hon. member said, earlier I had once said that we would like to strengthen our checkposts and anti-smuggling measures along the border. He wanted to know what the present checkposts were doing.

I would like to explain to him that the present checkposts are meant for another purpose. They are intended to keep a record of the particulars of excisable goods entering Nepal to enable excise duty to be refunded to the Government of Nepal—I am not going into the details; but that is how it operates—and to verify the particulars of goods in transit to Nepal from third countries and from Nepal to third countries *via* India. This was really the purpose of these checkposts and it is only now that we have decided to make them function also as preventive checkposts.

Now they are acting as preventive checkposts with express instructions to try to check smuggling as well. At present there are 18 checkposts in all, 9 in Bihar, 8 in UP and 1 in West Bengal. Goods of third country origin are prohibited from being imported into India and are liable to seizure or confiscation.

Then he referred to large-scale smuggling that had been taking place. Smuggling, as indicated by the seizures which we have made, tell their own story. I would like to give these figures to the House. During 1966 in the States of UP, Bihar and West Bengal 486 seizures involving goods valued at Rs. 3,21,000 were effected. During 1967 the corresponding figures were 587 seizures and the goods were valued at Rs. 5,87,000. During the first 8 months of 1968 there were 1,776 seizures involving goods valued at Rs. 11,57,000. During September 1968 the number seizures effected and the goods involved were 500 and Rs. 3,56,000 respectively. Therefore, these seizures, as I said, tell their own story.

There is one point here that I think needs an explanation as to why there has been a sudden spurt in September. Sir, you will recall that during the last session this question did come up in this House and, immediately after it came up, I called a meeting of all concerned Ministries, Commerce as well as External Affairs, and we decided to take notice of this problem. It is in this context that we strengthened our preventive measures along the border. As a result of that, we have alerted the staff of the Collectorates of Allahabad, Patna and West Bengal which are involved. We have created additional mobile parties, 13 in Allahabad Collectorate and 14 in the Patna Collectorate. In the West Bengal Collectorate 3 preventive posts have been set up and necessary staff has also been given to man these parties. So, this is one set of measures that we took.

The second set of measures that we have been taking as and when we have felt the necessity for it is to impose restrictions on the exports of certain articles when we have found that these articles were going in larger quantities than would be readily accounted for by Nepal's internal needs. That is true of jute and tent cloth. And in respect of tent cloth in particular, since this could be used for defence purposes, we were more careful than we would otherwise have been. Quotas have also been fixed for certain petroleum products. So, we have been careful and we have been alert on this score also.

Then, Shri Sharma has suggested that we should discuss this matter with the Nepal Government. I agree with him and, as a matter of fact, in September

[Shri K. C. Pant]

this year the matter was taken up by a delegation going from here to Nepal with the Nepal Government in Kathmandu and only this morning another high-power delegation has gone to Kathmandu, headed by Shri B. R. Bhagat. This delegation includes one of our officers from the Finance Ministry who deals with this subject. Among the subjects that are going to be discussed in Kathmandu is the strengthening of anti-smuggling measures and we are going to seek the co-operation of the Nepal Government in this respect. The Nepal Government, though they do not necessarily agree with all our assessments in this matter, have shown willingness to co-operate with us and to plug loopholes.

Among the goods mentioned by Shri Sharma, he referred to certain synthetic fabrics which are coming into the country. That is an area about which I would not like to say much because, as I stated in the beginning, goods originating in the other country are allowed free entry and we have to see that we do not create difficulties for the legitimate aspirations of Nepal to industrialise itself; but, at the same time, we have to see that smuggling does not increase and that goods which create difficulties for our producers are not imported at cheaper prices because that creates difficulties for us. All these things are to be discussed again with the Nepal Government and we do hope that in the matter of synthetic fabrics and stainless steel utensils etc., in the background of our friendly relations with Nepal, we shall be able to find mutually acceptable solutions.

Finally, Shri Sharma referred to the need for a law to check the open sale of smuggled goods in our shops. I agree with him and he will be glad to know that we are contemplating bringing forward such a law so that we can take adequate action when we find these goods in our shops.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने जो बात कहीं, मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि स्मगलिंग दो प्रकार से होती है। एक तो जो चोरी चोरी सामान वहां से आये, वह स्मगलिंग है और दूसरी स्मगलिंग ओपेन है। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो वर्तमान इन्डो-नैपाल ट्रेड ट्रीटी है उसकी आड़ लेकर वर्तमान समय में भारतवर्ष के भी बहुत से ऐसे पूंजीपति हैं जोकि अपने ब्लैक मनी को लेकर वहां पहुंच गए हैं और वहां से अपना धंधा शुरु किया है। वह धंधा यह है कि जिन चीजों के आयात पर यहां प्रतिबन्ध लगा हुआ है, उन्ही वस्तुओं को वहां पर विदेशों से मंगाते हैं। स्थिति यह है कि नैपाल गवर्नमेन्ट को लगभग सवा लाख डेढ़ लाख रुपया रोजाना ड्यूटी के रूप में मिल रहा है। वहां पर लीगली एक आदमी एक हजार रुपए का सामान हवाई जहाज से मंगा सकता है और वहां पर लोक मंगा भी रहें हैं। मंगाने के पश्चात वे उस माल को यहां लाते हैं। उदाहरण के लिए आप यहां पर शुगर को रोक सकते हैं लेकिन वे शुगर की टैब्लट्स बनाकर हिन्दुस्तान में ला रहे हैं क्योंकि फिर वह नेपाल का सामान हो जाता है। इसी तरह से वे स्टेनलेस स्टील के बर्तन बना लेंगे। ऐसे ही रेयान है, नाईलान है जिसको वे वहां पर मंगा रहे हैं और उसके पश्चात् उसको नेपाल का सामान बनाकर यहां पर लाते हैं। इन्फार्मेशन के लिए मैं आपको बताऊं, मैं बाम्बे गया हुआ था, वहां पर एक पार्क में कुछ करोड़पति व्यापारी सलाह कर रहे थे, मैं भी वहां पर घूम रहा था—उन्हें क्या मालूम था कि मैं कौन हूं—वे कह रहे थे कि यहां पर इतना बिजनेस नहीं है लेकिन नेपाल में बड़ा सुन्दर बिजनेस है, इस प्रकार की फैक्टरी वहां पर लगा दी जाए, यहां पर चीनी तो नहीं आ सकती है लेकिन वही चीनी क्यूब्ज के रूप में आ जायेगी। इसी प्रकार से स्टेनलेस स्टील है, उसको जरा तो टेढ़ा कर दिया तो वह बर्तन बन गया। तो इस प्रकार का बड़ा भारी करप्शन है जोकि इन्डो-नैपाल ट्रीटी की आड़ में ओपनली चल रहा है। नेपाल गवर्नमेंट इस बात को जानती है,

और मैं समझता हूं कि उसको भी भारतवर्ष की भावना का ध्यान रखना चाहिये और हम को भी उसकी भावना का ध्यान रखना चाहिये। मैं इस बात को हृदय से चाहता हूं कि नेपाल को हमारा अधिक से अधिक सहयोग मिले, लेकिन इसका यह अर्थकदापि नहीं है कि यहां के लोग हों या वहां के, जो इस प्रकार के ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जो कैपिटलिस्ट्स है, वह इस ट्रीटी के आदेशों को न मान कर इस देश के व्यापारी ढांचे को हानि पहुंचाए और जो हमारे अच्छे सम्बन्ध चल रहे हैं उन को बिगाड़ें। मैं जानना चाहता हूं कि जो आजकल स्मग्लिंग चल रही है उसको देखते हुए वर्तमान सन्धि पर पुनर्विचार करने के लिये क्या सरकार नेपाल सरकार से बात चीत कर रही है और उस सन्धि को इस प्रकार से बनाने का विचार कर रही है कि नेपाल में पैदा हुई वस्तुओं से बनी हुई चीजें और नेपाल के कारखानों में बनी हुई चीजें ही हमारे यहां आये और विदेशों की बनी हुई चीजें थोड़ा बहुत इधर उधर कर के यहां न आने पाए।

18 hrs.

दूसरी बात यह कि क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि नेपाल के द्वारा यहां का बहुत सा माल ओपन ट्रकों में तिब्बत और चीन को जाता है। इस प्रकार की स्थिति है। जो सामान नेपाल को चाहिये उसको अलाऊ किया जाय, लेकिन आज हमारा माल वहां के थ्रू तिब्बत और चाइना जा रहा है। हिन्दुस्तान में चेक पोस्ट बनने जा रही है, इस बात के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, आज बहुत दिनों के बाद यह खुशखबरी मंत्री महोदय ने दी है। लेकिन पता नहीं इस में हमको कहां तक सफलता मिलेगी। आप नेपाल से लगे हुए प्रान्तों बिहार और बंगाल में चले जाइये। जिस सामान को भारतवर्ष में आने के लिये अलाऊ नहीं किया वह यहां पर ओपन पटरियों पर बिकता है; मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यहां की पुलिस समाप्त हो गई है और कोई शासन नहीं रह गया है। किसी को स्मगलिंग करते हुए तो नहीं पकड़ा गया लेकिन चोरी का माल बिकता है। आपका शासन लोगों से क्यों नहीं पूछता कि यह माल कहां से आ रहा है। आखिर स्मगल ही तो किया होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट ने किसी को पकड़ा है कि इस प्रकार का माल क्यों बेचते हो, जिसके आयात करने पर गवर्नमेंट ने प्रतिबन्ध लगाया हुआ है? जो देश हमारे दुश्मन हैं उन का सामान यहां आकर शिलांग, गौहाटी, कलकत्ता और पटना में मिलता है। क्या किसी को इसके लिये पकड़ा गया है? अगर नहीं पकड़ा ग या तो क्यों नहीं पकड़ा गया?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कठिनाई यह है कि जो व्यापारी तस्कर व्यापार में लगे हुए हैं वह हमारे सामने इस तरह की बातें नहीं करते। किस तरह से वह तस्कर का काम करेंगे मुझ यह जानकारी नहीं मिलती। माननीय सदस्य इस तरह की जो भी जानकारी देंगे उसके बारे में पूरी सूचना एकत्र करने की कोशिश करूंगा।

जहां तक स्टेनलेस स्टील के बरतनों का सम्बन्ध है, मैंने अभी चर्चा की थी कि अगर कोई कच्चा माल बाहर से मंगाकर उससे कोई पदार्थ बनाकर यहां बेचे तो इस बारे में उन से बातचीत हो सकती है। जो हमारे उद्योग हैं उनके लिये जितने कच्चे माल के आयात करने की आवश्यकता है और आदान प्रदान के तरीके से जिसको मंगाने की आवश्यकता है उस की बात अलग है, लेकिन जहां केवल इस देश में बेचने की मंशा से ऐसे माल का आयात किया जाय जिसको हम आम तौर से आने नहीं देते, उसको देखने की आवश्यकता है।

जहां तक ट्रीटी का सम्बन्ध है, वह अक्तूबर, 1970 तक लागू है। उसके बाद प्रश्न उठेगा कि इस ट्रिटी का पुनर्निमाण किया जाय या उसे कैसी बनाया जाये।

[श्री कृष्ण चन्द्र पंत :]
फिलहाल हम बात चीत कर रहे हैं और जब तक उनकी तरफ से सहयोग का आश्वासन है, मैं समझता हूं कि हमें उस सहयोग के रास्ते पर चलना चाहिये ।

जहां तक इस का सम्बन्ध है कि इस देश से कुछ ऐसा माल जा रहा है जो तिब्बत और चीन में जाता है, मैं समझता हूं कि कोई ज्यादा सामान इस तरह का नहीं जाता । जैसा मैंने पहले कहा, जिस में हमें थोड़ा सा भी सन्देह होता है, जसे कि टेंट क्लाथ है, उस पर हम प्रतिबन्ध लगाते हैं । जब भी इस तरह की सूचनायें आती हैं तब हम काठमांडू के अपने दूतावास से पूछते हैं । काठमांडू और दूसरी जगहों से जो भी सूचनायें मिलती हैं उनसे यह पता नहीं चलता कि बहुत बड़ी मिकदार में सामान तिब्बत या चीन जा रहा है । आखिर यहां से तिब्बत में सामान जाने का खर्च भी तो बहुत पड़ता है । यह सब चीजें सोचते हुए मुझे यह कोई बहुत बड़ी बात मालूम नहीं होती ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : एक सवाल और है । जो सामान चाइना आदि विदेशों से आता है जिनके आयात पर आप ने प्रतिबन्ध लगा रक्खा है, वह खुले आम बिक रहा है । स्मग्लर्स उसको ओपनली बेच रहे हैं । आपकी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा आदमी पकड़ा है या नहीं, और अगर नहीं पकड़ा तो क्यों नहीं पकड़ा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने कहा था कि हम कानून बना रहे हैं जिसमें इसकी सुविधा मिलेगी । वैसे इतना जरूर है कि हम लोग ब्लैक मार्केटियस पर रेड्स कर रहे हैं जिनके फलस्वरूप जो सामान हमने निर्धारित कर दिये हैं अगर वह कहीं पकड़े जाते हैं तो हम उनको सीज़ कर सकते हैं । यह सीज़र हम करते हैं और ऐक्शन लेते हैं । लेकिन हम एक सख्त कानून ला रहे हैं ।

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR (Sambalpur): I want to know first of all whether there is any severe punishment, deterrent punishment, for the persons caught because we are not satisfied with mere statistics.

Secondly, I want to know this. In the case of stolen property, the thief may not be caught but the receiver of the stolen property is also punished severely. Similarly, I want to know whether Government has, or contemplate to have, any legislation by which persons who sell or dispose of smuggled goods can be punished.

I thank the Minister for the steps that he is already taking to curb these activities, but I find from the answer that he has given that most of the things that are smuggled into this country are fashionable things like wrist-watches, fountain pens, cigarette lighters, synthetic fibres, cosmetics, cameras, etc. Apart from the necessity of checking and detecting smuggling, it is high time that we created an atmosphere in this country of patronising only the indigenous goods. Why does smuggling take place? It is not merely because the smuggled goods are sold at cheaper prices but they are considered to be more fashionable. All of us think that foreign goods are necessarily better than the indigenous goods, and that is why from top to bottom we prefer foreign cars to indigenous cars, we prefer foreign blades to indigenous blades, we prefer foreign goods to indigenous goods. I do not blame the Ministers alone. Everybody is responsible for this...

श्री रवि राय (परी) : मंत्री लोग यह आदर्श दिखाते हैं ।

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: Therefore, I say that it is high time that right from the top to the bottom we created the necessary atmosphere and had the idealism of Swadeshi which Mahatma Gandhi preached in preferring Indian khadi to Manchester cloth which was much better in those days. Unless we do that, I think whatever law we may enact, we cannot check smuggling.

SHRI K. C. PANT: I would like to explain the difficulty because, apparently, there is some misunderstanding

which needs to be cleared. The difficulty is not in detecting what goods are brought in from outside. Some of the goods are brought in as a part of the baggage also in the normal manner. Some of the goods are also sold by auction after they are seized. The shopkeeper is not required just now to satisfy us about the source from which he obtains his goods. So, he can always say that he obtained from so and so in a legitimate manner. It is to plug this loophole that we require this law and only after the law is there, can we proceed to take action.

So far as the other part is concerned, I would ask Mr. Supakar to convert Mr. Sharma. Mr. Sharma wants us to manufacture those articles in the country whereas Mr. Supakar wants us to lead a simple life. So, it is a matter for them to settle between themselves, and then alone I can speak about it.

श्री शिंकरे (पंजिम) : अभी मंत्री जी ने कहा है कि नेपाल और भारत मित्र राष्ट्र हैं। इस में दो रायें नहीं हैं। सभी सदस्य और लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन अब जो स्थिति पैदा हुई है उससे मालूम होता है कि चीन भी नेपाल का मित्र राष्ट्र बन गया है। बात यही है कि चीन हमारा शत्रु है। जो दृष्टिकोण हमने पहले रखा था कि नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है और उसको रियायतें दी जाएं, ट्रेड में फैसिलिटीज दी जाए, इस नए तथ्य को देखते हुए क्या वही दृष्टिकोण हम आगे भी रखेंगे ? मैं समझता हूं कि हमें अपनी पालिसी नेपाल के बारे में बदलनी पड़ेगी ।

नेपाल से जो वस्तुयें स्मगल होकर आती हैं उन वस्तुओं के नामों को मैंने देखा है। जहां तक मेरी जानकारी है वे वस्तुयें नेपाल में पैदा नहीं होती हैं, वहां नहीं बनती हैं। बहुत सी वस्तुयें चीन से नेपाल के रास्ते आती हैं। वहां से फाउन्टेन पैन आदि आते हैं। जिस तरह से हमारी सरहद ओपन है उसको देखते हुए वहां से पैन बाम्ब भी आ सकते हैं और हर तरह के हथियार और चीन का कम्युनिस्ट लिट्रेचर भी आ सकता है । ऐसी स्थिति में हमें सोचना पड़ेगा कि जो नेपाल के साथ लगती हुई हमारी सरहद है और वहां जो चैक पोस्ट्स हैं, क्या उनको स्ट्रैंगथन किया जाए ? क्या उनकी संख्या हमें बढानी पड़ेगी या नहीं? मैं गोआ से आता हूं। यहां कहा जाता है कि गोआ स्मगलर्ज का पैराडाइज है। पोर्तुगीज के जमाने में तब था ही । अभी भी जब इतना ज्यादा वहां बन्दोबस्त किया गया है, सी कोस्ट पर इतना ज्यादा बन्दोबस्त किया गया है फिर भी उसको स्मगलर्ज का पैराडाइज समझा जाता है । वहां किस किस तरह से वस्तुयें स्मगल की जाती हैं, इसको मैं जानता हूं । हम जब अंडर ग्राउंड मूवमेंट में थे तब सरहद पर आदमी और हथियार भी स्मगल किये जाते थे । ऐसी चीज यहां भी हो सकती है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो हमारी ट्रीटी नेपाल के साथ हुई है और जो 1970 तक के लिए है, उसके बाद जब उसको रिवाइज करने का सवाल आए तो क्या इन बातों का ध्यान रखा जाएगा और ध्यान रखते हुए नए दृष्टिकोण से एक नई ट्रीटी करने की कोई कोशिश की जाएगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा, यह तो जाहिर ही है । माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि चूंकि नेपाल का चीन से मैत्री सम्बन्ध है, इसलिए भारत का अपना रवैया नेपाल के प्रति बदलना चाहिये, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं । मैं समझता हूं कि भारत को नेपाल से अपने जो सम्बन्ध हैं, उनको और भी ज्यादा मजबूत बनाना चाहिये ।

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : मैं मंत्री महोदय से दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं । उन्होंने अपनी कठिनाई बताई है कि यह सारा पहाड़ी क्षेत्र है और इस कारण से कुछ एक स्थानों पर ही चैक पोस्ट्स रखी जा सकती हैं और बाकी स्थानों पर चैक करना शायद इतना सरल काम नहीं है । कुछ स्मगलिंग केन्द्र बिन्दु हैं जैसे रक्सौल के नाम का बिहार

[श्री श्रीचन्द गोयल]

में स्टेशन है और उसके मुकाबले में नेपाल का वीरगंज नाम का स्टेशन है, ये बहुत बड़े केन्द्र हैं। मेरी जानकारी के अनुसार दोनों तरफ के जो सिपाही हैं या जो चौकियों के पहरेदार हैं वे दस बीस रुपये ले कर खुले तौर पर माल को इधर उधर आने जाने देते हैं। उनमें भाईचारा है। वे अपनी कमाई भी करते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो केन्द्र बिन्दु हैं उन पर आपको अपनी चौकियों को ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा और इन चौकियों पर लगे हुए कर्मचारियों की ज्यादा अच्छी तरह से देख रेख करनी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी वजह से, उनकी अनुमति से तो यह कहीं कारोबार नहीं चल रहा है।

जहां तक सिन्थैटिक फब्रिक्स का सम्बन्ध है, टेरीलीन इत्यादि का सम्बन्ध है नेपाल के अन्दर केवल एक ही कारखाना है और वहां का माल भारत में आता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या वस्तु स्थिति यह नहीं है कि भारत में जो सिन्थैटिक फैब्रिक्स नेपाल के द्वारा आते हैं, उन में क्या चीन का, जापान का, अमरीका बरतानिया आदि सभी देशों का सिंथैटिक फैब्रिक्स इस देश में नहीं आता है? क्या आपने इसके सम्बन्ध में जानकारी ली है? विशेषकर यह चर्चा नेपाल से स्मगल हो कर आने वाले माल के बारे में है। लेकिन वही स्थिति अमृतसर और पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है, वहां की भी है। वहां से भी माल स्मगल होकर आता है। पाकिस्तान के साथ इसी प्रकार का व्यापार करके लोग जो कल कंगाल थे आज करोड़पति हो गए हैं। तस्कर व्यापार पर जब हम रोक नहीं लगा पाते हैं तो इससे हमारी जो अर्थ व्यवस्था है वह बिगड़ जाती है, लोग चरित्र भ्रष्ट हो जाते हैं। इस वास्ते इधर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पीछे मैं विशाखापत्तनम गया था। वहां मुझे पता चला कि जहाजों द्वारा जितना माल आता है वह तो बहुत सस्ती कीमत पर आता है जैसे कैमरे हैं, कैमिक्स हैं, घड़ियां हैं, अच्छी अच्छी सिगरेट्स हैं। सभी चीजें बहुत थोड़े मूल्य पर वहां पर मिलती हैं। क्या इस ओर भी आपका ध्यान गया है और समुद्र के द्वारा जो तस्करी होती है, इसको भी आपने रोकने की कोशिश की है?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : समुद्र का तट तो नेपाल से मिलता नहीं है। यह बड़ी उनकी शिकायत है। अगर आप मिला देंगे तो वे बहुत खुश होंगे आप से।

बिहार की सरहद का जहां तक प्रश्न है, इस पर पहाड़ नहीं है, यह सरहद मैदानी है। बड़ी आसानी से इधर उधर आया जा सकता है। सामान भी साथ लाया ले जाया जा सकता है। हम लोग समझते हैं कि बजाय इसके कि उन चैक पोस्ट्स पर हम पकड़े जहां जहां बाजार हैं जहां माल आ कर बिकता है, उन पर भी निगरानी रखें। इसी लिए मोबाइल पोस्ट बनाई है। अगर मोबाइल पोस्ट न बनायें और अपना ध्यान सरहद पर ही केन्द्रित करें तो इसको हम रोक नहीं सकते हैं। ऐसी सरहद वहां बिहार की है।

बाकी जो सवाल पूछा है, उसका मैंने पहले ही जवाब दे दिया है।

18.17 Hrs.

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, November 18, 1968 Kartika 27, 1890 (Saka).

55 LSS(CP.)/68—1200—28.3.69—GIPF.